केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, New Delhi – 110067

द्वितीय अपील/ Second Appeal/ No.:- CIC/FCIND/A/2022/132282

श्री गोविन्द प्रसाद गोयल

…. अपीलकर्ता /Appellant

VERSUS
बनाम

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
प्रबंधक, आरटीआई, एफसीआई, सागर, मध्य प्रदेश।

…**प्रतिवादीगण** /Respondent

सुनवाई की तिथि : 16.01.2024

निर्णय की तिथि : 16.01.2024

आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि	10.01.2022
सीपीआईओ के जवाब की तिथि	28.01.2022
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.02.2022
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि	05.04.2022

आदेश

तथ्य :

प्रार्थी ने दिनांक 10.01.2022 के प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से एच एण्ड टी, एलआरटी का कार्य करने वाले ठेकेदारों के निविदा प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विवरण, उक्त ठेकेदारों के ईपीएफ, आयकर, सर्विस टैक्स लेबर लाईसेंस नंबर, उनके पंजीकरण स्थान एवं दिनांक, टेंडर प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा दिए गए लेबर सूची के हम्मालों के नाम, उनके सभी प्रकार के कार्यों के लिए दिए गए रेंट और अन्य संबंधित सूचना की मांग कुल 10 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सीपीआईओ, एफसीआई, मंडल कार्यालय, सागर ने दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि संबंधित ठेकेदारों ने उनकी निजी

सूचना प्रदान करने से इनकार कर दिया था। प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील संस्थित की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में सीपीआईओ की दलील को सही ठहराया।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्य:

प्रस्तुत वाद की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के वावजूद प्रार्थी सुनवाई के दौरान एनआईसी के सागर स्टूडियो में **उपस्थित नहीं थे**। प्रतिवादी पक्ष से श्री सौरभ तिवारी, प्रबंधक, डिपो एनआईसी के सागर स्टूडियो में **उपस्थित थे**।

प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि प्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना तृतीय पक्ष की निजी सूचना की श्रेणी में आती है, जिसका प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। संबंधित ठेकेदारों ने भी उनसे संबंधित सूचना प्रकट किए जाने के संदर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी। तदनुसार प्रार्थी को दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था।

निर्णय

संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में सीपीआईओ, एफसीआई, मंडल कार्यालय, सागर ने दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना को तृतीय पक्ष की निजी सूचना मानते हुए तथा संबंधित ठेकेदारों द्वारा उनसे संबंधित सूचना को प्रकट किए जाने के विरूद्ध दी गयी आपत्ति के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान करने से इनकार कर दिया है।

आयोग प्रतिवादी पक्ष की उक्त दलील से सहमति प्रकट करता है। प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सिविल अपील संख्या 10045/2010 (सीपीआईओ, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल) में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.11.2019 को दिये गए अपने निर्णय में यह अधिकथित किया है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रिकार्ड, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, भौतिक, मानसिक, शारीरिक अवस्था, ग्रेड, उत्तर पत्रक, योग्यता, कार्य–निष्पादन, मूल्यांकन रिकार्ड, एसीआर, अनुशासनात्मक कार्यवाही, चिकित्सा रिकार्ड, आयकर रिकार्ड, आदि उस व्यक्ति की निजी सूचना की श्रेणी में आती है, जिसका प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की जा सकती है। आयोग की राय में प्रार्थी द्वारा

वांछित सूचना के संदर्भ में उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित जवाब प्रेषित किया गया है। अतः प्रस्तुत संदर्भ में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

Heeralal Samariya (हीरालाल सामरिया)
Chief Information Commissioner (मुख्य सूचना आयुक्त)

Authenticated true copy
(अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति)

S. K. Chitkara (एस. के. चिटकारा)
Dy. Registrar (उप-पंजीयक)
011-26186535